

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा “स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी आकलन की भारत औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति” पर एक परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने “स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी आकलन की भारत औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति” पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग ने 15 जनवरी 2020 के अपने पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ सूचित किया कि दूरसंचार विभाग द्वारा 24 सितंबर 2015 को जारी पहुंच सेवा प्रदाताओं द्वारा एक्सेस स्पेक्ट्रम की शेयरिंग के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि शेयरिंग के बाद प्रत्येक लाइसेंसधारी शेयर की एसयूसी दर, समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 0.5 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। दूरसंचार विभाग ने यह भी बताया कि उसे पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि शेयरिंग के बाद 0.5 प्रतिशत की वृद्धिशील एसयूसी दर केवल विशेष स्पेक्ट्रम बैंड पर लागू होनी चाहिए जिसे दो लाइसेंसधारियों के बीच साझा करने की अनुमति दी गई है, न कि लाइसेंसधारियों के पूरे स्पेक्ट्रम पर। चूंकि एक विशेष बैंड में साझा करने की अनुमति है। इस पृष्ठभूमि में, दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से इन पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था (i) क्या स्पेक्ट्रम के बंटवारे के मामलों में एसयूसी दर में वृद्धिशील 0.5 प्रतिशत को केवल उस विशिष्ट बैंड पर लागू किया जाना चाहिए जिसमें शेयरिंग हो रही है; या एसयूसी की समग्र भारत औसत दर पर, जो सभी बैंड से प्राप्त की गई है और (ii) कोई और सिफारिश जो भादूविप्रा संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा यथा संशोधित भादूविप्रा अधिनियम 1997 की धारा 11 (1) के तहत इस प्रयोजन के लिए उचित समझी जाए।

3. इस संबंध में, “स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी आकलन की भारत औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति” पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां मांगी गई थी। हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां क्रमशः 20 मार्च, 2020 और 3 जून, 2020 तक आमंत्रित की जाती हैं।

4. टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में [advmn\(@.traai.gov.in](mailto:advmn(@.traai.gov.in) पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस.के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।